

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

24/4/18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप./  
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी  
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेश द्वारा आईन्दा  
दिनांक-28/6/18 को पेश हो।

28/6/18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप./  
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी  
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेश द्वारा आईन्दा  
दिनांक-16/8/18 को पेश हो।

16/8/18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप./  
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी  
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेश द्वारा आईन्दा  
दिनांक-29/11/18 को पेश हो।

29/11/18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप./  
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी  
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेश द्वारा आईन्दा  
दिनांक-27/12/18 को पेश हो।

27/12/18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप./  
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी  
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेश द्वारा आईन्दा  
दिनांक-3/1/20 को पेश हो।

3/1/20

पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप./  
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी  
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेश द्वारा आईन्दा  
दिनांक-3/1/20 को पेश हो।  
उपरोक्त रादास सिंह का 29/11/18 को  
गण।  
युंछे सिवाही आरापी श्री जज  
24/1/4135 बकडा 0.50 हॉ तन गाम खण्डेला

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
--------	--------------------------------------	---

की वादीगण की दादी खान्दली रिपोर्ट  
खातेदार कावतकार हैं। वादीगण के वाक  
पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होगा है  
कि उक्त विवादित आराजी के उन्ही  
तरफ स्थित परिवारीगण की खोदारी  
की सीमाओं को लेकर विवादित पशुगाछ  
के मध्य मुख्य विवाद है।

अतः तहसीलदार खण्डेला को आदेश  
दिया जाता है कि तहसीलदार खण्डेला  
उक्त पशुगाछ को सुनिश्चित करे हुए  
उन्की उपस्थिति में विवादित भूमि खण्डेला  
2411/4135-वक्का 0.50 हॅठ तक ग्राम खण्डेला  
तहसील खण्डेला जिला सीमा स्थापान  
की पैमाइश कर, पैमाइश की रिपोर्ट  
से उक्त पशुगाछ को सीमा ज्ञान करवाये।  
तदनुसार पत्रा डिट्टी काफ्त हो। कार्यवाही  
प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है।  
पत्रवली फैसल सुनाए होवे गव्वर  
ले कम हो बाद तहसील दाखिल फसल  
हो।



(रणजीत सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)